संख्या-49/2023/I/296157/2023/004-71-2099-191-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023

विषयः-बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक-मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से द्वितीय किस्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4713/लेखा/2023, दिनांक 27.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बी0पी0एल0/अन्तयोदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्व पक्ष में मानक-मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 66.67 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-102/2022/I/202443/2022/002-71-2002-91-2019, दिनांक 18 अगस्त, 2022 द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि रू0 83.33 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0पी0एल0/अन्तयोदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 66.67 लाख (रुपये छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक /पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायगा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
4. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र /लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. योजना से अच्छादित मरीजों को सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कराया जायेगा एवं सम्भव न होने पर इस मद का प्रयोग किया जायेगा।
6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
7. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 66,67,000 (रुपये छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050367 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल./अंत्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-648/दस-2022-23, दिनांक 30.03.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-49/**2023/I/296157/2023/004-71-2099-191-2021**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- नोड़ल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
7- के0जी0एम0यू0 के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।